न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

मूल वाद संख्या 173/2024

यूनियन बैंक आफ इंडिया बनाम मेसर्स सर्वे उत्तम आटोमोबाइल्स और अन्य

दिनांकः 04-02-2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित है।

अपर जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा पत्र इस आशय का प्रेषित किया गया है कि "उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 3689 एसएलएसए- 83/2025 दिनांकित 02 दिसम्बर, 2025 एवं मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में आयोजित मध्यस्थता अभियान की सफलता से प्रेरित होकर सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जनवरी 2026 से दिनांक 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश, लखनऊ बेंच के अनुसार राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 के अन्तर्गत अधिकाधिक संख्या में लम्बित प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है" तथा अधिक से अधिक से वादों को मध्यस्थता हेतु नियत कर मध्यस्थता केन्द्र को संदर्भित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उभयपक्ष द्वारा इस मामले को मध्यस्थता केन्द्र को संदर्भित किये जाने की मौखिक रूप से सहमति प्रदान की गयी है।

पक्षकार दिनांक 25-02-2026 को मध्यस्थता केन्द्र मेरठ में मध्यस्थता हेतु उपस्थित हो। पत्रावली दिनांक 06-03-2026 को मध्यस्थता केन्द्र की रिपोर्ट सहित पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,
मेरठ।

Digitally signed by Kshitij Kumar Srivastava
Date: 2026.02.04 16:02:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court